

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला –बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्र.क.क.मांक-990/2011  
 संस्थित दिनांक-27/12/2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा चौकी सालेटेकरी आरक्षी केन्द्र बिरसा,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

**अभियोजन**

**विरुद्ध**

रंजीत पिता गंगाराम मरकाम, उम्र-26 वर्ष,  
 निवासी-ग्राम तोरगा, थाना बिरसा,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

**अभियुक्त**

**// निर्णय //**

(आज दिनांक-27/08/2014 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-39/192, 146/196, 130(3)/177, 134/181 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक-26.10.2011 को समय शाम 7:00 बजे स्थान ग्राम बेहराभाटा नर्सरी रोड के पास चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसायकल यामाहा क्रमांक-सी.जी.04/सी.एम.4642 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए, उक्त वाहन से आहत कुबेर को ठोस मारकर उपहति तथा आहत संत कुमार को अस्थि भंग कर घोर उपहति कारित किया, उक्त वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना बीमा के चलाया, व मोटर यान विभाग के अधिकृत अधिकारी के द्वारा मांग करने पर बीमा प्रमाण पत्र पेश नहीं किया तथा उक्त दुर्घटना में क्षतिग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराया और न दुर्घटना की सूचना बीमाकर्ता को दी।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक-26.10.2011 को समय शाम 7:00 बजे स्थान ग्राम बेहराभाटा नर्सरी रोड के पास पुलिस चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा अंतर्गत आहत संतकुमार सायकल चलाते हुए जा रहा था तथा कुबेर सायकल में पीछे बैठा था, तभी आरोपी वाहन मोटरसायकल यामाहा क्रमांक-सी.जी.04/सी.एम.4642 को लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए आया और सायकल को ठोस मार दिया, जिससे आहतगण गिर गये और उन्हें चोट आयी। उक्त घटना की सूचना रतनलाल द्वारा

पुलिस चौकी सालेटेकरी में आरोपी के विरुद्ध की गई, उक्त रिपोर्ट पर पुलिस चौकी सालेटेकरी में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-0/2011, अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, जिस पर थाना बिरसा द्वारा असल कायमी करते हुए आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-100/2011, धारा-279, 337 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहतगण का मुलाहिजा करवाया गया था, पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी द्वारा मौके पर वाहन का रजिस्ट्रेशन व बीमा पेश नहीं करने पर मोटर यान अधिनियम की धारा-39/192, 146/196, 130(3)/177, 134/181 तथा आहत संत कुमार की चिकित्सीय एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार आहत को अस्थि भंग होने से धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा किया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-39/192, 146/196, 130(3)/177, 134/181 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी दिनांक-26.10.2011 को समय शाम 7:00 बजे स्थान ग्राम बेहराभाटा नर्सरी रोड के पास चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसायकल यामाहा क्रमांक-सी.जी.04/सी.एम.4642 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक चलाकर आहत कुबेर को ठोस मारकर उपहति किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत संतराम को ठोस मारकर अस्थि भंग कर घोर उपहति कारित किया?
4. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना बीमा के चलाया?

5. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोटरयान विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा मांग करने पर बीमा प्रमाण पत्र पेश नहीं किया ?
6. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोटर यान दुर्घटना में क्षतिग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराया और न दुर्घटना की सूचना बीमाकर्ता को दी ?

### विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत कुबेर (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह घटना के समय उसके भाई संतकुमार के साथ सायकल में बैठकर जा रहा था तो सामने से एक मोटरसायकल वाले ने तेज गति से उनकी सायकल को टक्कर मार दी, जिससे वे लोग गिर पड़े। उक्त दुर्घटना में उसके दाहिने हाथ, गाल व पैर में चोट आयी थी तथा उसके भाई संतकुमार को हाथ व घुटने में अस्थि भंग हो गया था। दुर्घटना के समय उसे मोटरसायकल चालक का नाम नहीं मालूम था। उसे बाद में पता चला था कि मोटरसायकल चालक आरोपी रंजीत का रिश्तेदार था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन में मोटरसायकल चालक के रूप में आरोपी का नाम बताया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना के समय मोटरसायकल चालक को देखा था, किन्तु मोटरसायकल आरोपी नहीं चला रहा था कोई व्यक्ति चला रहा था। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले के विपरीत घटना के समय कथित मोटरसायकल को आरोपी के द्वारा नहीं चलाये जाने के स्पष्ट कथन किये हैं, जिससे साक्षी की साक्ष्य से कथित अपराध के संबंध में आरोपी के विरुद्ध कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है।

6— आहत संतकुमार (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। वह घटना के समय उसके भाई कुबेर के साथ सायकल में बैठकर जा रहा था तो सामने से एक मोटरसायकल वाले ने तेज गति से उनकी सायकल को टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गया, जिससे उसके दाहिने पैर, बांये हाथ व घुटने में चोट आयी थी। उक्त दुर्घटना मोटरसायकल चालक की गलती से हुई थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन में मोटरसायकल चालक के रूप में आरोपी का नाम बताया था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले के विपरीत घटना के समय कथित मोटरसायकल को आरोपी के द्वारा नहीं चलाये

जाने के स्पष्ट कथन किये हैं, जिससे साक्षी की साक्ष्य से कथित अपराध के संबंध में आरोपी के विरुद्ध कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है।

7— सूचनाकर्ता रतनलाल (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय लडकी के बताने पर उसे घटना की जानकारी हुई थी। उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी। उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 चौकी सालेटेकरी में की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था। घटना स्थल से मोटरसायकल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-4 एवं सायकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-5 तैयार किया था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह कथन किया है कि घटना के समय उक्त मोटरसायकल को आरोपी नहीं चला रहा था। साक्षी का स्वतः कथन है कि आरोपी के चाचा का दामाद चला रहा था। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले के विपरीत घटना के समय कथित मोटरसायकल को आरोपी के द्वारा नहीं चलाये जाने के स्पष्ट कथन किये हैं, जिससे साक्षी की साक्ष्य से कथित अपराध के संबंध में आरोपी के विरुद्ध कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है।

8— बिसउवाखान (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि ने अपनी साक्ष्य में दुर्घटना के पश्चात् मौके पर पहुंचने पर मौके से मोटरसायकल चालक के भाग जाने के कथन किये हैं। साक्षी ने मोटरसायकल कौन चला रहा था, इसकी जानकारी न होना प्रकट किया है। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता।

9— अनुसंधानकर्ता अधिकारी सुरेश विजयवार (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-26.10.2011 को पुलिस चौकी सालेटेकरी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को रतनलाल पंचेश्वर की मौखिक रिपोर्ट पर मोटरसायकल क्रमांक-सी.जी.04/सी.एम. 4642 के चालक के विरुद्ध में अपराध क्रमांक-0/11, धारा-279, 337 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-2 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। असल कायमी हेतु प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-2 को शशि कुमार आरक्षक क्रमांक-344 के माध्यम से थाना बिरसा भेजा गया था, जो राजेश सनोडिया प्रधान आरक्षक के द्वारा असल कायमी की गई है जो प्रदर्श पी-6 है, जिस पर प्रधान आरक्षक राजेश सनोडिया के हस्ताक्षर हैं जिसे वह भली-भांति पहचानता है, जिसके साथ लगभग एक-ढेड़ वर्ष तक कार्य किया गया है। आहतगण को इलाज हेतु शासकीय अस्पताल बिरसा भेजा था। उसके द्वारा विवेचना के दौरान दिनांक-27.10.2011 को रतनलाल की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त



दिनांक को ही उसके द्वारा आहत संतकुमार, प्रार्थी रतनलाल, साक्षी कुबेर, एवं दिनांक-30.11.2011 को साक्षी बिसउवा खान के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। दिनांक-27.10.2011 को घटना स्थल से साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 अनुसार एक क्षतिग्रस्त मोटरसायकल क्रमांक-सी.जी. 04/सी.एम. 4642 जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक-30.10.2011 को कुबेर से एक पुरानी एटलस सायकल क्षतिग्रस्त हालत में जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक-06.12.2011 को आरोपी रंजीत से साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-7 के माध्यम से आरोपी का डायविंग लायसेंस की छायाप्रति जप्त किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा जप्तशुदा मोटरसायकल का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया गया है। आहत कुबेर से जप्त सायकल, उसे हिफाजत नामे पर दिया गया है। दिनांक-06.12.2011 को आरोपी रंजीत को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी कार्यवाही प्रदर्श पी-8 के अनुसार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। आहत संतकुमार की एक्सरे रिपोर्ट में अस्थि भंग होने की चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर धारा-338 भा.द.वि. तथा वाहन के दस्तावेज आर.सी.बुक तथा बीमा पेश न किये जाने व आहतगण को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध न कराकर भाग जाने के कारण धारा-130(3)/177, 146/196, 39/192, 134/181 मोटर यान अधिनियम का आरोपी के विरुद्ध का इजाफा किया गया था।

10— उक्त साक्षी ने मामले में की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित करने का प्रयास किया है, किन्तु मामले में प्रस्तुत सभी महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षीगण एवं आहतगण ने घटना के समय कथित मोटरसायकल को आरोपी के द्वारा चलाये जाने के कथन अपनी साक्ष्य में नहीं किये हैं, बल्कि उक्त साक्षीगण ने आरोपी के अलावा अन्य व्यक्ति के द्वारा कथित मोटरसायकल चलाये जाने की साक्ष्य पेश की है, जिससे अभियोजन का सम्पूर्ण मामला संदेहास्पद हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में मात्र अनुसंधाकर्ता अधिकारी की समर्थनकारी साक्ष्य का महत्व नहीं रह जाता। अभियोजन ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा मोटरसायकल को चलाया जा रहा था, ऐसी दशा में यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने कथित वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन या बिना बीमा कराये चलाया और उक्त दस्तावेज की मांग करने पर पेश नहीं किया अथवा कथित क्षतिग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराया।

11— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षीगण की साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि घटना के समय कथित मोटरसायकल को आरोपी के द्वारा

चालन नहीं किया जा रहा था, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा था। इस प्रकार अभियोजन ने उक्त संदेहास्पद परिस्थिति को साक्ष्य में दूर नहीं किया है। अभियोजन के द्वारा अपना मामला आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है।

12— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आरोपी ने लोकमार्ग पर वाहन मोटरसायकल यामाहा क्रमांक-सी.जी.04/सी.एम.4642 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए, उक्त वाहन से आहत कुबेर को ठोस मारकर उपहति तथा आहत संत कुमार को अस्थि भंग कर घोर उपहति कारित किया। अभियोजन ने यह भी युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने उक्त वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना बीमा के चलाया, व मोटर यान विभाग के अधिकृत अधिकारी के द्वारा मांग करने पर बीमा प्रमाण पत्र पेश नहीं किया तथा उक्त दुर्घटना में क्षतिग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराया और न दुर्घटना की सूचना बीमाकर्ता को दी। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-39/192, 146/196, 130(3)/177, 134/181 के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

13— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14— प्रकरण में जप्तशुदा सायकल कुबेर के हिफाजतनामा पर है जो उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे तथा जप्तशुदा वाहन मोटरसायकल यामाहा क्रमांक-सी.जी.04/सी.एम.4642 को उसके रजिस्टर्ड स्वामी को अपील अवधि पश्चात् प्रदान की जावे अथवा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट